

प्रस्तुत 30-4-18  
R-7 C.P.C. एवं  
अवकाश के लक्षण

14.2.18

पत्रावली पेश हुई। नकुलाम उपस्थित/पीठासीन  
अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त होने कारण  
पत्रावली दिनांक 26.3.18 को पेश हो।

26.3.18

*gmu*

26.3.18

नकुलाम उपस्थित

प्रतिवादी सं० 6 एवं 9 की तबकी

के लिए P/F एवं सम्पत्त पुनः  
पेश करें। पत्रावली दिनांक 30-4-18  
का पेश हो।

एस.डी.ओ.  
देसुरी

न्याय आपके द्वार अभियान  
2018 शिविर. दुदापुरा

14<sup>5</sup>/<sub>18</sub>

पत्रावली लोक अदालत केस कोर्ट  
दुदापुरा प्रस्तुत हुई।

वादी दलाशम एवं प्रतिवादी

सं०-1 शंकरलाल (सं० 8 पुनीलाल  
उपस्थित। उपस्थित प्रतिवादी 1 व 8

ने वादग्रस्त इति का हिलानुसंग

By-omits & Brands विभाजन किसे  
जाने की सहमति चकन की है।

शेष प्रतिवादीगणों के विकट एवं  
P.N.O.

उपखण्ड अधिकारी  
देसुरी

*gmu*  
*gmu*


में एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित हैं।

पञ्जाब एवं उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का क्वॉलिफिकेशन किया जाया / वादग्रस्त भूमि माला के अंक 275, 276, 277, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 एवं 1142 कुल खसरा 13 कुल खसरा 5=12 रिकॉर्ड लगाकर 148=80 Rs. क्लिफ-पाउ, जागू एवं बिरा-सटा वादी एवं परिवारी खसरा / से 9 की सुपुत्र वारंदाई की है। परिवारी सं 9 फॉल हो चुकी है, जिसके विधिक कार्रवाई परिवारी सं 1 से 8 है। वादी ने वादग्रस्त भूमि के आधा हिस्सा जोर की वारंदाई एवं विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि के वादी का 1/2 हिस्सा वारंदाई व होना परिवारी सं 1 व 8 में स्वीकार करने है।

ऐसी स्थिति में वाद वारंदाई स्वीकार किया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा का विभाजन वादी एवं शेष



साक्षात् 01 लजाप 08 के मध्य  
 कार्य मित्त हूड बाइपुस विधे  
 जाने के आदेश दिने जाते हैं।  
 तहसीलदार, देहरी वादी एवं  
 प्रतिकापीगण । से 8 के मध्य  
 वाप्राप्त भूने वा विभाजन  
 कर, वाले इत्यादि की सुविधा  
 वाकने हुए विभाजन प्रतिकेदन  
 आगज 2 खण्डों, अंगण, विभा  
 लजान दर्शित करने हुए प्रस्तुत  
 करेगी। विभाजन प्रतिकेदन  
 प्रस्तुत होने पर पृथक से  
 अंतराप प्रजावली वायम की  
 जाका कालि डिपो जारी की  
 जावे। डिपो पर्या जारी हो।  
 प्रजावली फलल शमार होकर  
 से वाग हो।



(राजेश भेंवाड़ा)  
 उपसह. अधिकारी अभियान  
 2018 सी. विर.....